पत्रांक–3 / एम0–162 / 2005 सा0प्र0–12787

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 28 अगस्त 2015

विषयः– निगरानी विभाग द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने (trap cases) मामलों में विभागीय कार्यवाही के कालबद्ध निष्पादन एवं उसे ससमय तार्किक परिणति तक पहुँचाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकारी सेवकों के आपराधिक कदाचारों में लिप्त होने के कारण भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एवं भा0द0वि0 के तहत् फौजदारी मुकदमा एवं साथ–ही–साथ समुचित तथ्यों पर आधारित आरोप–पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में विभागीय परिपत्र सं0 2324 दिनांक 10.07.2007 निर्गत है। सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के निष्पादन में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियओं का सम्यक अनुसरण करने के संबंध में विभागीय परिपत्र सं0 1893 दिनांक 14.06.2011 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। साथ ही सभी विभागीय कार्यवाहियों के कालबद्ध निष्पादन हेतु समय सीमा निर्धारित करते हुए उसका कड़ाई से अनुपालन करने हेतु भी विभागीय परिपत्र सं0 2763 दिनांक–26.02.2014 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इसके बावजूद सरकार के समक्ष ऐसे दृष्टांत आ रहे हैं जिनमें विभागीय कार्यवाहियाँ कई वर्षों तक लंबित रहती हैं। विशेष कर निगरानी विभाग द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मामलों (trap cases) में साक्ष्य की अनुपलब्धता का हवाला देकर विभागीय कार्यवाहियों को 6–7 वर्षों तक तार्किक परिणति तक नहीं पहुँचाया जाता है। ऐसा होने से न केवल भ्रष्टाचार के प्रति सरकार के zero tolerance की नीति पर आघात होता है, बल्कि रंगे हाथों पकड़े गये सरकारी सेवकों को

समय उचित दंड नहीं मिलने से अन्य सरकारी सेवकों में भी गलत संदेश जाता है। सरकार द्वारा इसे काफी गंभीरता से लिया गया है।

3. निगरानी विभाग द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मामलों (trap cases) में विभागीय कार्यवाही के त्वरित संचालन हेतु साक्ष्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबध में विभागीय परिपत्र सं0–17696 दिनांक–23.12.2014 द्वारा विस्तृत दिशा निदेश दिये गये हैं। सरकार विशेष कर ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाही के कालबद्ध निषादन एवं उसे तार्किक परिणति तक पहुँचाने को प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाही के विभिन्न चरणों को पूरा करने के निमित्त निम्नवत् समय–सीमा निर्धारित की जाती है–

विभिन्न चरण	समय–सीमा
(1) रंगे हाथों पकड़े जाने के उपरांत निगरानी विभाग द्वारा आवश्यक साक्ष्य से संबंधित सभी कागजातों के साथ संबंधित सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्री विभाग एवं पदस्थापना विभाग को सूचना का प्रेषण।	एक सप्ताह
(2) संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त साक्ष्यों एवं कागजातों के आधार पर आरोप–पत्र 'प्रपत्र–क' गठन।	तीन सप्ताह
(3) आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) आरोपित सरकारी सेवक को भेजा जाना/आरोपित सरकारी सेवक द्वारा लिखित बयान देना/लिखित बयान के आधार पर निष्कर्ष का अभिलेखन एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही हेतु अग्रेतर कार्रवाई का विनिश्चय।	दो माह
(4) संचालन पदाधिकारी के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17 के अनुसार विभागीय जाँच की कार्रवाई संपन्न करने एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने की अवधि।	तीन माह
(5) उक्त नियमावली के नियम–18 के अनुसार कार्रवाई करते हुए मामले को तार्किक परिणति तक पहुँचाना।	दो माह
	कुल –आठ माह

4. रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मामलों में विभागीय कार्यवाही का उक्त निर्धारित समायानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु दो dedicated अपर विभागीय जाँच आयुक्त की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। चूँकि ऐसे मामलों में संचालित

विभागीय कार्यवाहियों में एक पक्ष निगरानी विभाग भी होता है और उसकी ओर से साक्ष्यों का उपस्थापन किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ही किया जाता है अतएव यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में dedicated रूप से विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु भा0पु0से0 के किसी एक पुलिस महानिदेशक स्तर के पदाधिकारी को तथा भा0प्र0से0 के एक वरीय पदाधिकारी को अपर विभागीय जाँच आयुक्त के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।

5. ऐसे मामलों में भी अपर विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी के रूप में कार्यवाही सुपुर्द करने में वही प्रकिया अपनाई जायेगी, जो विभागीय जाँच आयुक्त को कार्यवाही सुपुर्द करने में अपनाई जाती है और जिसका निर्धारण विभागीय परिपत्र सं0– 6959 दिनांक– 21.10.2008 में किया गया है। ऐसे मामलों में भी उपर्युक्त परिपत्र में निर्धारित प्रकियानुसार रंगे हाथों पकड़े गये सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही dedicated अपर विभागीय जाँच आयुक्त को सुपुर्द करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। परंतु यदि ऐसे किसी मामले में कार्यवाही dedicated अपर विभागीय जाँच आयुक्त को सुपुर्द करने के संबंध में किसी संचिका में माननीय मुख्य मंत्री अथवा विभागीय मंत्री की हैसियत से मुख्य मंत्री का आदेश/अनुमोदन प्राप्त हो, तो वैसे मामलों में मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

6. ऐसे मामलों में भी विभागीय कार्यवाही dedicated अपर विभागीय जाँच आयुक्त को सुपुर्द करने के लिए उपर्युक्त विभागीय परिपत्र सं0–6959 दिनांक– 21.10.2008 में विहित जाँच–पत्र में वांछित सूचना भरकर सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ भेजा जाना अपेक्षित होगा, ताकि संचालन पदाधिकारी आश्वस्त हो सकें कि जाँच के लिए अपेक्षित प्रकियागत कार्रवाई अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्पन्न कर ली गयी है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त जाँच पत्र का विहित प्रपत्र संलग्न है।

7. यह भी निदेश दिया जाता है कि विभागीय कार्यवाही के ऐसे मामलों में 'आरोप–पत्र' गठन में अपेक्षित सावाधानी बरती जाय तथा उसके मुख्य आधार के रूप में संबंधित सेवक के अवचार (misconduct) को प्रमुखता दी जाय। ऐसे मामलों में संबंधित विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदन से ही आरोप–पत्र गठित किया जायेगा, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि आरोप–पत्र विधिवत तैयार किये गये हैं और उनमें संबंधित आरोपित सरकारी सेवक के अवचार (misconduct) को प्रमुखता दी गयी है।

8. इस प्रकार तैयार किये जाने वाले आरोप–पत्र के साथ गवाह के रूप में अनावश्यक रूप से अधिक व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाय। गवाह के रूप में

धावा दल के नेतृत्वकर्त्ता के अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक सहित यथा संदर्भित दो या तीन गवाह काफी होंगे।

9. अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक –3/एम0–162/2005 सा0प्र0– 12787 पटना, दिनांक 28·08-2005

प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव